प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

7वां, 8वां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज

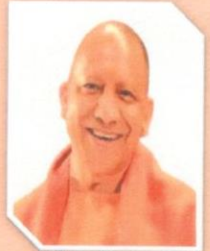

योगी आदित्यनाथ
मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

जागृति विहार आवास योजना कालिन्दीपुरम

जान्हवी अपार्टमेन्ट नैनी

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जागृति विहार आवास योजना, कालिन्दीपुरम व जान्हवी अपार्टमेन्ट, नैनी, प्रयागराज में आवासीय फ्लैट प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

रिक्त फ्लैटों का विवरण (आवंटन लॉटरी के माध्यम से)

क्र0सं0	योजना का नाम	सम्पत्ति श्रेणी	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी0)	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य प्रति फ्लैट (रू0 में)	पंजीकरण धनराशि (रू0 में)
1	जागृति विहार आवास योजना, कालिन्दीपुरम्	श्रेणी–I (S+7) लिफ्ट एवं सीढ़ी	19	75.83	4189000.00	418900.00
		श्रेणी–II (G+3)	198	54.30	3702720.00	370272.00
2	जान्हवी अपार्टमेंट, नैनी, फेज़–I	SAHAJ (L.I.G. FLAT)	33	35.94	1902438.00	190244.00

पंजीकरण आवेदन तिथि
(दिनांक 15.07.2023 से 14.08.2023 तक)

पंजीकरण आवेदन के लिए वेबसाइट **janhit.upda.in & pdaprayagraj.org.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। योजना से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते प्राधिकरण की उक्त वेबसाइट से देखी/डाउनलोड की जा सकती है। लॉटरी की सूचना पृथक से दी जायेगी।

(अजय कुमार)
प्र0 अधि0 सम्पत्ति

(अजीत कुमार सिंह)
सचिव

(अरविन्द कुमार चौहान)
उपाध्यक्ष

जागृति विहार आवास योजना कालिन्दीपुरम एवं जान्हवी अपार्टमेंट नैनी, प्रयागराज।

संक्षिप्त नियम एवं शर्ते :–

1. समस्त सम्पत्तियों का पंजीकरण/आवेदन वेबसाइट janhit.upda.in & www.pdaprayagraj.org.in के माध्यम से ऑनलाइन एवं निर्धारित अवधि में ही स्वीकार किये जायेंगे तथा स्पष्ट एवं पूर्ण आवेदन ही मान्य होंगे।
2. सम्पत्तियों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा और लॉटरी की तिथि एवं स्थान आदि के विषय में सूचना अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा व प्राधिकरण के वेबसाइट www.pdaprayagraj.org.in पर भी उपलब्ध रहेगी।
3. सम्पत्तियों के सापेक्ष पंजीकरण धनराशि को सम्पत्ति के मूल्य के 25 प्रतिशत धनराशि 30 दिन में समायोजन के पश्चात् अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त 90 दिन के अन्दर अथवा सूचित तिथि के अनुसाार निर्धारित ब्याज सहित किस्तों में जमा किया जा सकता है, जिसका ऐच्छिक विकल्प पंजीकरण फॉर्म के नियत कालम में भरना होगा।
4. एल0आई0जी0 (सहज श्रेणी) के फ्लैटों को तीन वर्ष (36 माह) समान मासिक किश्तों में एवं जागृति विहार आवास योजना के फ्लैटों को 12 समान त्रैमासिक किश्तों में, निर्धारित ब्याज सहित आवंटित किया जायेगा।
5. जागृति विहार आवास योजना में श्रेणी–।। के फ्लैटों का आवंटन प्राप्त पंजीकरण आवेदन की संख्या के अनुसार ब्लाकवार किया जायेगा।
6. एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग)/सहज श्रेणी के फ्लैट हेतु रु0 3,00,001/– से 6,00,000/– (रूपये तीन लाख एक से छः लाख तक) की वार्षिक आय का तहसील के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा पंजीकरण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. एक से अधिक श्रेणी की सम्पत्ति (फ्लैट) के आवेदन हेतु अलग–अलग पंजीकरण फार्म एवं पंजीकरण धनराशि जमा करना होगा, किन्तु लॉटरी ड्रॉ में चयन होने पर एक ही सम्पत्ति का आवंटन मान्य होगा तथा लॉटरी ड्रॉ में चयन के तत्काल बाद आवेदक को अपने अन्य पंजीकरण/पंजीकरणों के लिये असहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा एक आवंटन के अतिरिक्त अन्य सभी पंजीकरण निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।
8. रिक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी राजस्व सहायक से प्राप्त की जा सकती है।
9. रेरा में पंजीकृत योजनाओं की सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात् आवंटी को रजिस्टर्ड अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य होगा।
10. आवंटी को सम्पत्ति मूल्य के अतिरिक्त निर्धारित लीजरेंट/कार्पस फण्ड/सर्विस चार्ज/जी0एस0टी0 एवं अन्य शुल्कों में से जो देय होगा, उसका भुगतान करना होगा। विक्रय विलेख का समस्त व्यय, नगर निगम, जल संस्थान एवं अन्य विभागों के समस्त देयक आवंटी को वहन करना होगा।

11. सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य आवंटन के पश्चात् निर्धारित तिथि से पूर्व कभी भी जमा किया जा सकता है। सम्पूर्ण मूल्य जमा होने पर रजिस्ट्री सम्पादित होने के पश्चात् ही सम्पत्ति का कब्जा देय होगा किन्तु किश्तों पर आवंटित फ्लैट्स का कब्जा, उसके मूल्य का **25%** जमा होने के पश्चात् नियमानुसार अनुबंध सम्पादित कर दिया जा सकता है।

12. सम्पत्तियों के आवंटन में आरक्षण शासनादेश के अनुसार लागू होगा, जिसके लिए वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फॉर्म में आरक्षण कालम न भरने व प्रमाण पत्र न संलग्न करने पर उक्त पंजीकरण सामान्य माना जायेगा। आरक्षित सम्पत्ति अवशेष रहने पर उसे सामान्य में सम्मिलित कर आवंटित की जायेगी।

13. उपरोक्त सम्पत्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है किन्तु सम्पत्ति के कुल मूल्य में छूट देय नहीं है। आधी पंजीकरण धनराशि अग्रिम के रूप में जमा होने वाली सम्पत्ति के मूल्य के 25% धनराशि में समायोजित कर जमा करना होगा।

14. समस्त सम्पत्ति **"जहाँ है जैसे है"** के आधार पर आवंटित की जा रही है, जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कराया जायेगा। आवंटन हेतु आवेदन करने से पूर्व सम्पत्तियों का स्थल निरीक्षण कर संतुष्टि की जा सकती है।

15. लाटरी में फ्लैट आवंटन होने के पश्चात् यदि आवंटी द्वारा आवंटन निरस्त कराये जाने की स्थिति में नियमानुसार जमा पंजीकरण धनराशि पर 20% कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना व्याज के वापस की जायेगी।

16. विवाद की स्थिति में मामले का निस्तारण **"प्रयागराज जनपद न्यायालय"** के क्षेत्राधिकार में होगा।

17. प्राधिकरण/शासन द्वारा समय–समय पर जारी एवं लागू समस्त नियमों का पालन करना होगा।

18. सम्पत्ति का आवंटन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज, विकास प्राधिकरण, प्रयागराज में निहित है।